

Office of Immigrant and Refugee Affairs (अप्रवासी और शरणार्थी मामलों का कार्यालय)

सीटल शहर Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA, अप्रवासी और शरणार्थी मामलों का कार्यालय) सीटल के अप्रवासी और शरणार्थी नवासियों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करता है। अपने New Citizen Campaign (नए नागरिक अभियान) के माध्यम से, OIRA उन अप्रवासियों और शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि करना चाहता है जो नागरिक बन जाते हैं और अपने समुदायों से जुड़े रहते हैं।

यह नागरिकता क्लिनिक नमिनलखित समुदाय-आधारित संगठनों के साथ साझेदारी में Office of Immigrant and Refugee Affairs (अप्रवासी और शरणार्थी मामलों के कार्यालय) द्वारा आपकी सेवा में प्रस्तुत है:

Asian Counseling and Referral Service
Catholic Immigration Legal Services
Chinese Information and Service Center
Entre Hermanos
Horn of Africa Services
International Rescue Committee
Korean Community Service Center
OneAmerica
Refugee Women's Alliance
Somali Family Safety Task Force
South Park Information and Resource Center
The West African Community Council



अमेरिकी नागरिकता हेतु आवेदन करने में नःशुल्क सहायता प्राप्त करें!



International Rescue Committee (IRC) तथा
Refugee Women's Alliance (ReWA) द्वारा प्रायोजित
नःशुल्क नागरिकता क्लिनिक!

स्वयंसेवक वकीलों, अर्ध-वकीलों और दुभाषियों की एक टीम आपके
नागरिकता आवेदन में आपकी मदद करेगी। यह सभी पात्र कानूनी स्थायी
नवासियों (ग्रीन कार्ड धारकों) के लिए नःशुल्क है।

March 23, 2019 शनिवार
समय शुरू: 10 AM

MEADOWBROOK COMMUNITY CENTER
10517 35th Ave NE
Seattle, WA 98125



Seattle
Office of Immigrant
and Refugee Affairs

कॉल करके कोर्ड समय लेने हेतु साइन अप करें: (206) 721-8445। नागरिकता हेतु आवेदन करने के
बारे में अधिक जानकारी के लिए, newcitizencampaign.org पर जाएँ।

पात्रता

अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए, आपको निम्न करने की आवश्यकता है:

- आपके द्वारा दर्ज की गई तारीख को आप कम से कम 18 वर्ष के हों।
- कम से कम पछिले 5 वर्षों (या 3 वर्ष, यदि किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह किया गया हो) के लिए एक स्थायी नवासी हों।
- पछिले 5 वर्षों में से 2.5 (या पछिले 3 में से 1.5 वर्ष, यदि किसी अमेरिकी नागरिक से विवाह की है) के लिए यू.एस. में उपस्थित रहे हों।
- बुनियादी अंग्रेजी बोलने में सक्षम हों (आप किसी अपवाद के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं)।

क्या लाएं

- आपका स्थायी नवास कार्ड (ग्रीन कार्ड)।
- आपका नवीनतम टैक्स रटिर्न और W-2 फॉर्म।
- आपका वर्तमान और समाप्त हो चुके सभी पासपोर्ट।
- आपके पास मौजूद अपने अप्रवासी रिकॉर्ड के बारे में सभी दस्तावेज।
- आवेदन शुल्क - आय स्तर के अनुसार अलग-अलग:

संपूर्ण शुल्क \$725 है।

- यदि आप आवेदन के लिए स्वयं भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको एक चेक, कैशियर के चेक, या मनी ऑर्डर की आवश्यकता होगी जो "U.S. Department of Homeland Security (यू.एस. डेपार्टमेंट ऑफ होमलैण्ड सिक्युरिटी)" के नाम से होगा।

आप शुल्क माफी या कम शुल्क के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

अपनी पात्रता की जांच करने के लिए, आपको निम्नलिखित लाना होगा:

- Department of Social and Health Services (DSHS, सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा विभाग) का सार्वजनिक लाभ का प्रमाण जैसे आपका नरिणय पत्र, या
- आपकी आय का प्रमाण, उदाहरण के लिए, आपका नवीनतम टैक्स रटिर्न और भुगतान रसीदें।

दुभाषण उपलब्ध है, लेकिन अगर आप अपना दुभाषण लाते हैं तो आपको कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

अतिरिक्त दस्तावेज

आपको निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी होगी:

- पछिले 5 वर्षों के लिए घर के पते और उन तथियों की सूची, जिनके दौरान आप इन पतों पर रहते थे।
- पछिले 5 वर्षों के नियोक्ता के नाम और पतों की सूची और इन नियोक्ताओं के साथ काम करने की तारीखें।
- आपके स्थायी नवासी बनने के बाद यूएस से बाहर यात्राओं की तारीखें और उन यात्राओं के देशों के नाम।
- आपके बच्चे का पूरा नाम, जन्मतथि और उनके विदेशी पंजीकरण नंबर, यदि कोई हो तो।
- सभी वर्तमान और पछिले पतियों/पत्नियों के लिए नाम, जन्म की तारीखें, शादी की तारीखें, और तलाक की तारीखें।

आपको इन अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत भी पड़ सकती है:

- विवाह प्रमाण पत्र(त्रों) की।
- तलाक के आदेश(शों) की।
- अपने आश्रितों की सहायता करने का प्रमाण।
- कानूनी नाम परिवर्तन दस्तावेज (यदि आपके ग्रीन कार्ड पर नाम आपके वर्तमान कानूनी नाम से अलग हो)।
- यदि आप अमेरिकी नागरिक से विवाह के आधार पर आवेदन कर रहे हैं, तो अपने पति/पत्नी की अमेरिकी नागरिकता (उदाहरण के लिए, पासपोर्ट, नागरिकीकरण प्रमाणपत्र, या यूएस जन्म प्रमाणपत्र) और वे दस्तावेज लेकर आएं, जो आपका साथ रहना प्रमाणित करते हैं (उदाहरण के लिए, कोर्ट करिना इत्यादि का बलि जिस पर दोनों के नवास का वविरण हो)।
- यदि आपको किसी भी कारण से किसी कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कभी गरिफ्तार किया या पकड़ा गया हो, तो आपराधिक न्यायालय से Certificate of Disposition (वनि्यास प्रमाणपत्र), पुलिस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, और आपके पास इस घटना(ओं) के बारे में अगर कोई अन्य दस्तावेज हों, तो साथ लाएं।